संख्या - 015/एमएससी/016
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 27.04.2015

**परिपत्र सं-07/04/2015**

**विषय: प्रथम चरण की सलाह के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श - प्रक्रिया संबंधी ।**

**संदर्भ**: (i) **दिनांक 03.09.1985 का आयोग का पत्र सं0 डीओ/वीजीएल/10**

(ii) **दिनांक 15.04.2004 का आयोग का कार्यालय आदेश सं0 24/4/04**

(iii) **दिनांक 29.4.2005 का आयोग का कार्यालय आदेश सं0 25/4/05**

आयोग के साथ परामर्श करने की वर्तमान पद्धति के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य सभी संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को, भ्रष्टाचार अथवा अनुचित प्रयोजन के आरोपों वाली सभी शिकायतों की प्रारंभिक जांच/अन्वेषण की रिपोर्टों पर अनुशासनिक प्राधिकारियों के अनंतिम दृष्टिकोण प्राप्त करने के बाद; अथवा यदि कथित तथ्य प्रथम दृष्टया सतर्कता दृष्टिकोण के मूलतत्व की ओर संकेत करते हैं जो वर्ग-`क` अधिकारियों (अर्थात संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत सभी अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के समूह-क अधिकारी तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(2) के अंतर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थानों, समितियों तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के स्तर तथा वर्गों के अधिकारी) वाले सतर्कता शिकायत रजिस्टर में पंजीकृत किए जाते हैं, वहां मामले में सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय लेने से पहले आयोग की प्रथम चरण की सलाह लेना आवश्यक है । ऐसे संदर्भों में वह मामले भी शामिल हैं जिनमें जांच करने पर आरोप प्रथम दृष्टया किसी सतर्कता दृष्टिकोण/भ्रष्टाचार की ओर संकेत नहीं करते हैं ।

2. आयोग के साथ परामर्श करने की पद्धति की समीक्षा करने पर तथा मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में सतर्कता प्रशासन की प्रक्रियाओं में शीघ्रता लाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि, अब से वर्ग-क अधिकारियों से संबंधित शिकायतों/मामलों में तथा ऐसे संयुक्त मामले जिनमें वर्ग-ख अधिकारी भी शामिल हैं, में मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा जांच/अन्वेषण करने के बाद, यदि आरोप, जांच करने पर प्रथम दृष्टया सतर्कता दृष्टिकोण/भ्रष्टाचार नहीं दर्शाते हैं तथा पूर्ण रूप से गैर-सतर्कता/प्रशासनिक त्रुटियों से संबंध रखते हैं, तब इस मामले पर संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन के के स्तर पर मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा लोक सेवक के प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाएगा । अत:, गैर-सतर्कता/प्रशासनिक त्रुटियों में प्रशासनिक/अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिशों वाली मुख्य सतर्कता अधिकारियों की रिपोर्टें अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगीं तथा यदि अनुशासनिक प्राधिकारी मुख्य सतर्कता अधिकारी की सिफारिशों से सहमत हैं तो मामला संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन के स्तर पर निपटाया जाएगा । ऐसे सभी मामलों में, आयोग से प्रथम चरण की सलाह मांगने के लिए कोई संदर्भ भेजने की आवश्यकता नहीं होगी । तथापि, सतर्कता दृष्टिकोण की

उपस्थिति के संबंध में यदि मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा अनुशासनिक प्राधिकारी के मध्य मतभेद है, तब मामले को सतर्कता दृष्टिकोण (भले ही सिद्ध ना हुआ हो) वाली शिकायतों पर जांच रिपोर्ट सहित प्रथम चरण की सलाह के लिए आयोग को भेजना जारी रहेगा । सतर्कता मैनुअल तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा बीमा कंपनियों में सतर्कता प्रबंधन पर विशेष अध्याय के प्रावधान इस सीमा तक संशोधित होंगे ।

3. उपर्युक्त संशोधित परामर्श प्रक्रिया/व्यवस्था, आयोग द्वारा प्राप्त तथा मंत्रालय/विभाग/संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी को अन्वेषण और रिपोर्ट के लिए भेजी गई शिकायतों पर लागू नहीं होगी तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी जांच/अन्वेषण के निष्कर्ष पर ध्यान दिए बिना आयोग की प्रथम चरण की सलाह लेने के लिए वर्ग-क अधिकारियों वाले सभी मामलों में अपनी अन्वेषण रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करना जारी रखेंगे । इसी तरह, लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 अथवा पर्दाफाश संरक्षण अधिनियम, 2011 के अंतर्गत प्राप्त सभी लिखित शिकायतों/प्रकटीकरण (पर्दाफाश शिकायतें) का वर्तमान निर्धारित प्रक्रिया अथवा समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसरण में मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा संचालन/कार्यवाही करना भी जारी रहेगा ।

ह0/-
(जे. विनोद कुमार)
विशेष कार्य अधिकारी

सेवा में

मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कंपनियां/स्वायत्त संगठनों/समितियों आदि के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।

**प्रतिलिपि सूचनार्थ**: संयुक्त सचिव(एसएंडवी), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 ।